07.07.22	पत्रावली पेश की। वादीनी एवं प्रतिवादी सं. 2, 4, 5 के वकील उपस्थित। चूंकि मूल वाद ~~[illegible]~~ खारिज हो चुका है, अतः आवेदन के आगे की कार्यवाही का कोई औचित्य नहीं रहा, आवेदन के आगे की कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाकर आवेदन खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संधारण रूप में हो।
	सं/ सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.09.21 12:38:41 IST
Reason: SelfAttested